न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– एम0पी0 मीना I.A.S.

अपील संख्या–08 / 2023 (सू0 का अधि0)

श्री अमित कुमार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा
–प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 06 / 12 / 2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अमित कुमार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) ने दिनांक 02.12.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहाँ आवेदन जरिये डाक से पेषित कर निम्न सूचना चाही गई थी–

1. दिनांक 7.11.2022 को प्रेषित पत्र पर आप विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियों की प्रति प्रेषित की जावें ।

उपरोक्त सूचना नहीं मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जो दिनांक 17.07.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु पत्र क्रमांक / रीडर / डीएम / 2023 / 260 दिनांक 25.07.2023 से लिखा जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपने पत्रांक / सूचना / 2023 / 515 दिनांक 19.10.2023 से टिप्पणी भिजवाई गई है कि आवेदनकर्ता श्री अमित कुमार का आवेदन मूल ही ग्राम पंचायत मण्डाना पंचायत समिति लाडपुरा को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है । अब किसी तरह की कोई कार्यवाही लंबित नहीं होने से अपील निस्तारण हेतु निवेदन किया है ।

हमने अपील मेमो एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । आवेदक अपीलार्थी द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 7.11.2022 सतर्कता अनुभाग द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाकर कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा को भिजवा दिया गया था जिसके क्रमांक–112236314126749 है तथा प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक / आर.टी. आई / प–266 / 2022 / 698 दिनांक 29.11.2022 से ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मण्डाना पंचायत समिति लाडपुरा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुकी है । लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर स्तर से प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया गया ।

(एम0पी0मीना)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा